पत्रांक–7 / वि0वि0आर0–01 / 2004 का.– 6782 3/3.40

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार मंडल,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला के उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 19 दिसम्बर, 2006

विषय : उच्चतर रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित प्रोन्नति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 6228 दिनांक 22.11.2006 के जरिये यह निदेश दिया गया है कि प्रोन्नति के लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन एक अभियान के तहत अविलम्ब किया जाय।

सरकार के संज्ञान में यह बात आयी है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्चतर रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित प्रोन्नति की कार्रवाई नहीं कर उच्चतर पदों का प्रभार "कार्यकारी व्यवस्था" के तहत पदाधिकारियों / कर्मचारियों को सौंपी जा रही है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण सामने आये हैं जहां कार्यकारी व्यवस्था के तहत वरीयता एवं आरक्षण नीति की अवहेलना हुई है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में पुनः निदेश दिया जाता है कि उच्चतर पदों का प्रभार "कार्यकारी व्यवस्था" के तहत पदाधिकारियों / कर्मचारियों को नहीं सौंप कर उच्चतर रिक्त पदों के विरूद्ध नियमित प्रोन्नति की कार्रवाई नियमानुसार तीव्रता से की जाय।

यदि किसी सेवा / संवर्ग का संवर्ग आवंटन अंतिम रूप से नहीं हो पाया हो तो वैसे सेवा / संवर्ग में प्रोन्नति हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध औपबंधिक रूप से प्रोन्नति की कार्रवाई कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या–1079 दिनांक 28.02.2004 (छाया प्रति संलग्न) में निहित शर्तों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाय।

उपर्युक्त निर्देशों के अतिरिक्त किसी भी तरह की कार्रवाई अनियमित मानी जाएगी जिसके लिए संबंधित विभाग / नियंत्री पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक– यथोक्त।

NMandal
19.12.06

(मनोज कुमार मंडल)
सरकार के मुख्य सचिव।